कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें

रायपुर/दुर्ग संभाग, पुराना नर्सिंग हास्टल, डीकेएस भवन परिसर, रायपुर छ.ग.

E-Mail ID- jdhs.raipur@gmail.com Phon 0771-2229950, Fax no- 4262299

क्रमांक/स्था.अवि/सत्रह/2021/ 168 रायपुर दिनांक 22.05.2021

//आदेश//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर क्रमांक/स्था. अवि/66/2021/188 नवा रायपुर अटल नगर 16.02.2021 द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन करते हुए तथा संभाग स्तर आरक्षण रोस्टर के अनुसार प्रशीतक मैकेनिक (रेफ्रिजरेटर मैकेनिक) के रिक्त पदो पर संभाग स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार अभ्यार्थी की संविदा नियुक्ति निर्धारित सेवा शर्तो के अधार पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाय गये पदस्थापना स्थल पर की जाती है।

क्रं.	चयनित अभ्यार्थी का नाम	पत्र व्यवहार का पता	चयनित श्रेणी	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5
1	रवि कुमार	पांच बिल्डिंग क्वाटर नं एच.आई 09 दुर्ग जिला–दुर्ग पिन 491001	अनारक्षित	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग
2	लक्ष्मण देवांगन	द्वारा बी.आर.टेलस, रेणुका प्रिंटर्स के सामने रिंग रोड चौक छ.ग नगर रायपुर पिन 492001	अनारक्षित	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा
3	पवन कुमार डड़सेना	आई एच.डी.पी आवास ब्लाक आई 1/06 खमतराई सामु.भवन के पास अशोक नगर सरकंडा जिला बिलासपुर छ.ग 495006	अ.पि.व	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव
4	सुलेमान एक्का	ग्राम– लक्ष्मीपुर पोस्ट मिरीगुढा तह–धरमजयगढ जिला रायगढ छ.ग पिन 496116	अ.ज.जा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबजार

नियम एवं शर्ते:–

1.संविदा नियम 2012 कंडिका 13 अन्य शर्ते – (1) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होगें।

2. संविदा नियम 2012 कंडिका 10 संविदा वेतन – संविदा पर प्रतिमाह एकमुश्त वेतन रू–14200 (रू चौदह हजार दो सौ मात्र) की पात्रता होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन,मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ती, गृह भाडा भत्ता इत्यादी नही दिया जायेगा। तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्वि की पात्रता नही होगी।

3. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012, कंडिका 02 संविदा नियुक्ति के पद – (2) संविदा नियुक्ति 01 बार में एक वर्ष के लिए ही होगी।

4. आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय में उपस्थिति देते हुए कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होग, अन्यथा आपका संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त माना जावेगा।

5. कार्यभार ग्रहण करते समय मूल दस्तावेजों के परीक्षण में किसी प्रकार की असत्य जानकारी पाये जाने पर आपका नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा।

6. संविदा नियम कंडिका 12 यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधायें – (3) यदि संविदा नियुक्ति के किसी पद के लिए यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधायें नियमों मे विहित नही है , तो ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति को उस पद के समकक्ष पद पर नियुक्त शासकीय सेवक के समान यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी । छत्तीसगढ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका 12 नियम 14 लागू होगी।

7. संविदा नियम कंडिका 11 अवकाश की पात्रता (1) – संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 18 दिनो के आकस्मिक तथा 3 दिनो के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा। तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवोन्मुक्त होने पर, आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महिनों के लिए अनुपातिक आधार पर की

निरन्तर 02 पर

Scanned by CamScanner

जावेगी। गणना में अपूर्ण दिवस को अगामी पूर्ण दिवस में पूर्णांकित किया जायेगा, तथा विश्रामावकाश विभागों के लिए केलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जायेगा।

8. कंडिका 09 नियुक्ति की अवधि – (4) संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी, तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नही होगा।

9. कंडिका 09 नियुक्ति की अवधि – (5) संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षो में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

10. कंडिका 13 अन्य शर्ते – (2) सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नही होगी।

11. चयनित अभ्यार्थियों द्वारा एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्यःउपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

12. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्ति कर्मचारी को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यंत्र स्थानो से आना–जाना अनुमत्य नही होग तथा ऐसा पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

13. कंडिका 13 अन्य शर्ते – (3) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का गोपनीय प्रतिवेदन (कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) लेखबद्व किया जायेगा एवं संविदा आधार पर आगे और नियुक्ति के लिए उसका विचारण किये जाने की दशा में, संविदात्मक सेवा की कालावधि के विस्तारण हेतु उसका गोपनीय प्रतिवेदन (कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) का निर्धारण उत्कृष्ट या बहुत अच्छा होना आवश्यक है।

14. कार्य उपस्थिति के समय चयनित व्यक्ति को उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है, न ही विचाराधीन है, तद्‌आशय की शपथ पत्र. देना होगा ।

संभागीय संयुक्त संचालक
स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर/दुर्ग संभाग छ.ग

पृ.क्र./स्था./अवि./सत्र६/2021/1452-63 रायपुर, दिनांक 22.05.2021

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाये, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संभागायुक्त रायपुर/दुर्ग संभाग छ.ग की सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेबाये, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक (अविज्ञप्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त कलेक्टर रायपुर/दुर्ग संभाग छ.ग की सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त पुलिस अध्यक्ष रायपुर/दुर्ग संभाग छ.ग की सूचनार्थ प्रेषित।
8. समस्त कोषालय अधिकारी रायपुर/दुर्ग संभाग छ.ग की सूचनार्थ प्रेषित।
9. समस्त जिला रोजगार अधिकारी रायपुर/दुर्ग संभाग छ.ग की सूचनार्थ प्रेषित।
10. विज्ञान एवं सूचना अधिकारी एन.आई.सी छ.ग की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. सर्व संबधित .... जिला .... की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
(अभ्यार्थी अपने आदेश विभागीय वेबसाईट **cghealth.nic.in** से डाउनलोड करे)
13. आदेश फाईल
14. फाईल नस्ती।

संभागीय संयुक्त संचालक
स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर/दुर्ग संभाग छ.ग.

Scanned by CamScanner